विधान सभा आम चुनाव 2014
तत्काल तिथि बद्ध

क्रमांक 4/09/2014–1निर्वाचन
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
निर्वाचन शाखा

सेवा में

दिनांक 24 सितम्बर 2014

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा ।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ।
4. सभी आयुक्त मण्डल हरियाणा ।
5. सभी उपायुक्त हरियाणा ।

विषयः– हरियाणा एवं महाराष्ट्र राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन–निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचको के मताधिकारों का संरक्षण–तत्संबधी ।

—00—

महोदय/महोदया

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 576/3/2014/एसडीआर–खण्ड–I, दिनांक 18 सितम्बर,2014 की ओर दिलाते हुये इसकी प्रति अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 21(1) के उपबंधो का वर्तमान साधारण निर्वाचनों के दौरान कडाई से अनुपालन किया जाएं और उक्त नियम के उपबधो का अनुपालन न करने के संबध में शिकायत को कोई आधार नही मिले । यदि संबधित प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत कोई निर्वाचक, निवारक निरोध में हो और संबधित संसदीय या विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पते से अवगत नही हो तो वे संबधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विवरण भेज सकते है ।

भवदीय

अवर सचिव, निर्वाचन ।

पृष्ठांकन क्रमांकः–4/9/2014–1निर्वाचन

दिनांक 24 सितम्बर,2014

इसकी एक प्रति श्री आशीष चक्रवर्ती, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली को उनके मि.स. 576/3/2014/एसडीआर–खण्ड–I दिनांक 18 सितम्बर,2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

अवर सचिव, निर्वाचन ।

निर्वाचन तत्काल
कैम्प बैग
वेबसाईट पर

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

मि.सं.576/3/2014/एसडीआर-खण्ड-I   दिनांक- 18 सितम्बर, 2014

सेवा में,

राज्य सरकार के मुख्य सचिव

1- हरियाणा

2- महाराष्ट्र

विषय- हरियाणा एवं महाराष्ट्र राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों के मताधिकारों का संरक्षण-तत्संबंधी ।

महोदय/ महोदया,

आप अवगत हैं कि आयोग ने 12 सितम्बर, 2014 को हरियाणा और महाराष्ट्र की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर http://eci.nic.in/eci_main1/current/PN43_12092014.pdf के अन्तर्गत दिया गया है। इस संबंध में, निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों के मताधिकारों से संबंधित विधि के निम्नलिखित उपबंधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 की उप-धारा (5) के परंतुक में निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों को मत का अधिकार दिया गया है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के अनुसार निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों को डाक द्वारा अपने मत डालने का अधिकार प्राप्त है।

(ii) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 21(1) में यह उपबंध किया गया है कि उपयुक्त सरकार निवारक के अधीन रखे गए निर्वाचकों, यदि कोई हों, के नाम उनके पते, निर्वाचक नामावली संख्याओं एवं निरोध के स्थानों के ब्यौरे निर्वाचन की अपेक्षा किए जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर रिटर्निंग ऑफिसरों को उपलब्ध कराएगी। इससे रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे निर्वाचकों को डाक मत पत्र भेजने में सक्षम हो पाएंगे ताकि वे निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

निर्वाचन शाखा
डायरी न० 1174
दिनांक 24-9-14

- PTO -

24/9/14

2. अनुरोध है कि संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए जाएं कि ऊपर उल्लिखित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 21(1) के उपबंधों क वर्तमान साधारण निर्वाचनों के दौरान कड़ाई से अनुपालन किया जाए और उक्त नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के संबंध में शिकायत का कोई आधार नहीं मिले। यदि संबंधित प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत कोई निर्वाचक, निवारक निरोध में हो और संबंधित संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पते से अवगत नहीं हो तो वे संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विवरण भेज सकते हैं।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव

प्रति प्रेषित- हरियाणा एवं महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यदि निवारक निरोध में रखे गए निर्वाचकों की कोई सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होती है तो उसके बारे में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरों को अविलंब अवगत कराया जाए।